

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2009

(आय-कर)

का.आ. 2483(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा—

(क) यह निदेश देता है कि इससे उपाबंध अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट आय-कर आयुक्त, जिसका मुख्यालय उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट स्थान पर अवस्थित है, उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों या ऐसे मामलों या मामलों के वर्ग या ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों की बाबत और उनके सभी आय या आय वर्ग की बाबत, निम्नलिखित समवर्ती शक्तियों का प्रयोग करेगा—

- (i) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 143 की उप-धारा (1) के अधीन आय-कर विवरणियों की प्रक्रिया के संबंध में;
- (ii) ऐसी भूल को सुधारने के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के अधीन विवरणियों की प्रक्रिया से प्रकट है;
- (iii) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 133 के अधीन जानकारी मांगने के संबंध में;
- (iv) प्रक्रिया के अननुपालन या अन्यथा के लिए निर्धारिती द्वारा फाइल की गई आय-कर विवरणी को अविधिमान्य विवरणी घोषित करने के संबंध में;
- (v) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (9) के अधीन निर्धारिती द्वारा फाइल की गई आय-कर विवरणी को त्रुटिपूर्ण विवरणी घोषित करने के संबंध में;
- (vi) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245 के अधीन निर्धारिती के प्रतिदायों को उसके बकाया कर दायित्व के प्रति मुजरा करने या समायोजित करने के संबंध में; और
- (vii) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 156 के अधीन मांग की सूचना जारी करने के संबंध में;

(ख) इस अधिसूचना में निर्दिष्ट आय-कर आयुक्त को, आय-कर अपर आयुक्तों या संयुक्त आयुक्तों, जो उसके अधीनस्थ हैं, द्वारा उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रादेशिक क्षेत्र ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों या ऐसी आय या आय के वर्गों या ऐसे मामले या मामलों के वर्ग की बाबत शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए लिखित रूप में आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत करता है;

(ग) इस अधिसूचना के खंड (ख) में निर्दिष्ट आय-कर अपर आयुक्तों या संयुक्त आयुक्तों को निर्धारण अधिकारियों, जो

उसके अधीनस्थ हैं, द्वारा उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रादेशिक क्षेत्र या ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग या ऐसी आय या आय के वर्ग या ऐसे मामलों या मामलों के वर्ग में शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए, जिनके संबंध में ऐसे आय-कर अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त इस अधिसूचना के खंड (ख) के अधीन आय-कर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत हैं, लिखित रूप में आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

क्रम सं.	आय-कर प्राधिकारी का पदनाम	मुख्यालय	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आय-कर आयुक्त, केन्द्रीयकृत कार्यान्वयन केन्द्र, बंगलूरु	बंगलूरु, कर्नाटक	ऐसे सभी मामले, जहां आय-कर की विवरणी— (i) जहां धारा 139 की उप-धारा (1) के अधीन मूल विवरणी पेपर रूप के सिवाय इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत की गई है, और (ii) ऐसी विवरणी पर अधिका-कारिता रखने वाले कर्नाटक और गोवा राज्य में पेपर रूप में प्रस्तुत की गई है।

(2) यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 75/2009/फा. सं. 142/18/2009-टीपीएल]

विजय कुमार जायसवाल, अवर सचिव